

2-1-21 वकील प्रार्थी उपरोक्त संलग्न तलबाना जारी कर  
दि. 4.5.21 को पेश हो।

13/5/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब *रीट*  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बसत-पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक 13/5/21  
को पेश हो।

13/7/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब *रीट*  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बसत-पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक 10/8/21  
को पेश हो।

10/8/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बसत-पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक 5/10/21  
को पेश हो।

5-6-21 वकील प्रार्थी उपरोक्त 10 साहब चुनाव में व्यस्त हैं  
दिनांक 16-11-21 को पेश हो।

6-12-21 आज पत्रावली प्रयाप्त गावा ने सगे शक्ति में गाव प्रयाप्त  
मुकदमा पेश हुई निर्णय नहीं हो सका दि. 10-12-21  
को पेश हो।

दि. 1-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बसत-पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक 6-3-22  
को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास ( अलवर )

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
<p>16-3-22</p>	<p>इम्प्लोरि                      वकील प्रमोद उपाध्याय। अग्रणी की तस्वीर छे तस्वना पेश करे                      अग्रणी दावा। प्रमाण नोन नम्पलेश में श्वारिण                      कर दिया गिया। आयदा दिनांक 11-5-22 को                      पेश हो।</p>
	<p>11-5-22                      पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब                      अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अग्रणी पधारें हैं।                      उभयपक्ष के अधि. उप. आयदा दिनांक 22-6-22                      को पेश हो।</p> <p>रीडर</p>
<p>22-6-22</p>	<p>वकील अग्रणी उपाध्याय। वकील अग्रणी ने रूक मोका को अन्तिम पुरादा                      हो मोका दिया जाला है। दिनांक 10-8-22 को पेश हो।</p>
<p>10-8-22</p>	<p>वकील अग्रणी उपाध्याय। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं।                      आयदा दिनांक 13-8-22 को पेश हो।</p>
<p>13-8-22</p>	<p>आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत की भवना से                      पेश हुआ। वकील ने अपना वाद विज्ञापन लिखा                      है। अन्त दावा वकील विज्ञापन किया जात है। पत्रावली                      जेसल सुमार रोज वारिपल लेख भवना हो।</p> <p>सदस्य                      राष्ट्रीय लोक अदालत</p> <p>अध्यक्ष                      राष्ट्रीय लोक अदालत</p>